न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 127/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांक 30.05.2024
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

संतोष पुत्री स्व. जगन्नाथ जाति माली निवासी खडीपुर तहसील सांगोद जिला कोटा

... अपीलान्टा

बनाम

1. सुरेश कुमार पुत्र स्व. जगन्नाथ जाति माली निवासी खडीपुर तहसील सांगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कनवास, जिला कोटा

...रेस्पो0

उपस्थित : श्री मुकेश खरोल अभिभाषक –अपीलांटा
श्री ओपेन्द्र नागर अभिभाषक –रेस्पो0 क्र. 1
पेरोकार सरकार – रेस्पो क्र. 2

::निर्णय::

दिनांक 28.01.2025

अपीलांटा ने न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) प्रकरण संख्या 9/2024/(प्रार्थना–पत्र आवंटन निर0) बउनवान राजस्थान सरकार बनाम सुरेश कुमार वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2005 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपीलीय प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि तहसीलदार सांगोद ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि जगन्नाथ आत्मज भवरलाल कौम माली सा. देह को ग्राम खडीपुर की भूमि खसरा नम्बर 346 की 0.12, खसरा नम्बर 347 की 0.17, खसरा नम्बर 348 की 0.54 है0 एवं खसरा नम्बर 349 की 0.17 हेक्टेयर भूमि को दिनाक 18.6.76 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। इसके पश्चात नामान्तरकरण संख्या 294 दिनाक 23.2.1996 से मृतक जगन्नाथ के स्थान पर पुत्र सुरेश कुमार नाबा. व पुत्री सतोष नाबा. वली भंवर लाल दादा का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ। आवन्टी को 10 वर्ष से अधिक का समय पूर्ण हो चुका है परन्तु आवन्टी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। इस प्रकार आवन्टी ने आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की है एवं वर्तमान में उक्त भूमि मौके पर सार्वजनिक उपयोग रास्ते के काम आ रही है। अतः आवन्टन निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार सांगोद का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवन्टी को किया गया आवन्टन खारिज किये जाने का निर्णय दिनांक 10.11.2005 पारित किया गया।

2. अपीलांटा द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 10.11.2005 से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–75 अन्तर्गत प्रथम अपील प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी के व्यथित प्रक्षकार होना वर्णित करते हुए अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने के साथ ही इस न्यायालय में पेश की जाकर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2005 को उक्त आवंटन बिना अपीलान्टा को सूचना दिये बिना व सुने व सुनवाई का अवसर दिये उसकी अनुपस्थिती में अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त करने का आदेश प्रदान कर दिया। आदेश जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि न्याय एवं रिकार्ड पर स्थित तथ्यों के सर्वथा प्रतिकूल होने से गैर कानूनी त्रुटि पूर्ण संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। ग्राम खडीपुर तहसील सांगोद की पुराने खसरा नम्बर 162 की 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि दिनांक 18.6.1976 को भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार अपीलान्टा के पिता जगन्नाथ आत्मज भंवरलाल जाति माली निवासी खडीपुर को आवंटन की गयी थी व नियमानुसार दखल दिया गया। उक्त भूमि में सेटलमेन्ट कार्य हो गया जिसके खसरा नम्बर 346 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 347 की 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 348 की 0.54 हेक्टर व खसरा नम्बर 349 की 0.17 हेक्टर भूमि कायम किये गये । उक्त आवंटी जगन्नाथ की मृत्यु हो जाने पर उक्त भूमि नामान्तरकरण सं. 294 दिनांक 23.02. 1996 से जगन्नाथ जी के स्थान पर अपीलान्टा व उसके भ्राता सुरेश कुमार रेस्पो. नं. 1 नाबालिगान के नाम तस्दीक किया गया तथा उक्त भूमि अपीलान्टा नाबालिग की गैरखातेदारी में दर्ज की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये, अपीलान्ट की अनुपस्थिती में सरसरी तौर पर आवंटन आदेश निरस्त करने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि पर आवंटन की तिथि से अपीलान्टा के पिता व उनकी मृत्यु बाद अपीलान्टा व उसके भ्राता सुरेश कुमार का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है और आज दिन तक बैदखल नहीं किया गया है तथा अपीलान्टा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. नं. 1 की अनुपस्थिती दर्ज कर उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुये दिनांक 10.11.2005 को आवंटन खारिज करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। उक्त आदेश की पालना में उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज करदी गयी है। आवंटित भूमि ग्राम खडीपुर की खसरा नम्बर 162 की 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि है जिसके सेटलमेट बाद नये खसरा नम्बर 346 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 347 की 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 348 की 0.54 हेक्टर व खसरा नम्बर 349 की 0.17 हेक्टर भूमि कायम किये गये। अपीलान्टा के पिता की मृत्यु के समय अपीलान्टा व रेस्पो. नं. 1 नाबालिग होने के कारण आस–पास के काश्तकारों द्वारा नाबालिगी का फायदा उठा कर कब्जा कर लिया। रेस्पो. नं. 1 बालिग होने पर उक्त भूमि की पैमायश करा कर अतिक्रमी को बैदखल करने हेतु भी कई आवेदन पत्र दिये किन्तु कोई ध्यान नहीं दिया व अपीलान्टा व रेस्पो. क्र.1 का उक्त भूमि के समभाग पर अपीलान्टा के पिता व उनकी मृत्यु बाद आवंटन शुदा भूमि पर निरन्तर आज तक काबिज काश्त चले आ रहे है। अतः अपील अपीलान्टा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.11.2005 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्टा के पिता के पक्ष में जारी किये गये आवंटन आदेश दिनांक 18.6.1976 को यथावत फरमाया जावे।

कोटा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्त किये जाने से पूर्व अपीलान्टा को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। ग्राम खडीपुर तहसील सांगोद की पुराने खसरा नम्बर 162 की 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि दिनांक 18.6.1976 को भू–आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार अपीलान्टा के पिता जगन्नाथ आत्मज भंवरलाल जाति माली निवासी खडीपुर को आवंटन की गयी थी व नियमानुसार दखल दिया गया। जिस पर अपीलांट के पिता आवंटन के उपरांत से ही काश्त करते चले आ रहे थे। उक्त भूमि में सेटलमेन्ट कार्य हो गया जिसके खसरा नम्बर 346 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 347 की 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 348 की 0.54 हेक्टर व खसरा नम्बर 349 की 0.17 हेक्टर भूमि कायम किये गये । उक्त आवंटी जगन्नाथ की मृत्यु हो जाने पर उक्त भूमि नामान्तरकरण सं. 294 दिनांक 23.02.1996 से आवंटी जगन्नाथ के स्थान पर अपीलान्टा व उसके भ्राता सुरेश कुमार रेस्पो. नं. 1 नाबालिगान के नाम तस्दीक किया गया तथा उक्त भूमि अपीलान्टा नाबालिग की गैरखातेदारी में दर्ज की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि पर आवंटन की तिथि से अपीलान्टा के पिता व उनकी मृत्यु बाद अपीलान्टा व उसके भ्राता सुरेश कुमार का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है और आज दिन तक बैदखल नहीं किया गया है तथा अपीलान्टा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो. नं. 1 की अनुपस्थिती दर्ज कर उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुये दिनांक 10.11.2005 को आवंटन खारिज कर उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज करदी गयी है। आवंटित भूमि ग्राम खडीपुर की खसरा नम्बर 162 की 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि है जिसके सेटलमेट बाद नये खसरा नम्बर 346 की 0.12 हेक्टर, खसरा नम्बर 347 की 0.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 348 की 0.54 हेक्टर व खसरा नम्बर 349 की 0.17 हेक्टर भूमि कायम किये गये। अपीलान्टा के पिता की मृत्यु के समय अपीलान्टा व रेस्पो. नं. 1 नाबालिग होने के कारण आस–पास के काश्तकारों द्वारा नाबालिगी का फायदा उठा कर कब्जा कर लिया। अपीलान्टा व रेस्पो. क्र.1 का उक्त भूमि के समभाग पर अपीलान्टा के पिता व उनकी मृत्यु बाद आवंटन शुदा भूमि पर निरन्तर आज तक काबिज काश्त चले आ रहे है।

5. विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ पेश व्यथित पक्षकार होना वर्णित करते हुए अपील पेश करने की इजाजत दिये जाने के साथ ही प्रार्थना–पत्र में उल्लेख किया गया कि विवादित भूमि अपीलांटा के पिता की आवंटित भूमि होने तथा पिता की मृत्यु के बाद अपीलांटा व रेस्पो0 नं0 1 के नाम गैरखातेदारी में दर्ज की गई था तथा उक्त भूमि पर अपीलांटा का कब्जा काश्त चला आ रहा है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा को सूचना दिये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त आवंटन को खारिज कर दिया, जिससे अपीलांटा के हित

कोटा

प्रभावित हो रहे है। अतः उक्त निर्णय दिनांक 10.11.2005 से अपीलांटा व्यथित पक्षकार है। अतः अपीलांटा को अपील पेश किये जाने की इजाजत फरमायी जावे। साथ ही प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने के संबंध में हुई देरी हेतु प्रार्थना–पत्र धारा 5 प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के पूर्व व उसके पश्चात अपीलान्टा को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी और रेस्पो. नं. 1 द्वारा भी किसी प्रकार की सूचना उक्त कार्यवाही व निर्णय के बाबत नहीं बताया। जबकि अपीलान्टा के पिता व उनकी मृत्यु बाद अपीलान्टा व रेस्पो. नं. 1 का आवंटन शुदा भूमि पर निरन्तर आज तक काबिज काश्त चला आ रहा है। दिनांक 19.8.2022 को हल्का पटवारी ने अपीलान्टा को उक्त भूमि का आवंटन खारिज होने तथा अपीलान्टा के पिता के नाम का आवंटन निरस्त होने के बाबत कहा इस पर अपीलान्टा दिनांक 19.8.2022 को आवंटन निरस्ती आदेश दिनांक 10.11.2005 के बाबत जानकारी कर अपीलान्टा ने हुक्म जैर अपील के निर्णय की नकल व सम्पूर्ण आवंटन पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 22.8.2022 को आवेदन पत्र पेश कर दिया जिस पर अपीलान्ट को दिनांक 15.9.2022 को नकल प्राप्त हुयी। अपीलान्टा को आवंटन निरस्ती आदेश दिनांक 10.11.2005 के बाबत दिनांक 19.8.2022 के पूर्व किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हुयी और दिनांक 10.11.2005 से 19.8.2022 एवं दिनांक 22.8.22 से 15.9.22 तक नकल के दिन को कन्डोन करते हुए अपील को अवधि मध्य मानते हुए प्रार्थना–धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.11.2005 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्टा के पिता के पक्ष में जारी किये गये आवंटन आदेश दिनांक 18.6.1976 को यथावत रखे जाने का अनुरोध किया।

6. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय न्यायोचित है। आवन्टी ने आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की है एवं वर्तमान में उक्त भूमि मौके पर सार्वजनिक उपयोग रास्ते के काम में आने के परिणामस्वरूप ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सांगोद का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1976 खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली को आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि अपीलांटा के पिता की आवंटित भूमि होने तथा पिता की मृत्यु के बाद अपीलांटा व रेस्पो0 नं0 1 के नाम गैरखातेदारी में दर्ज की गई था तथा उक्त भूमि पर अपीलांटा का कब्जा काश्त चला आ रहा है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा को सूचना दिये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त आवंटन को खारिज कर दिया, जिससे अपीलांटा के हित प्रभावित हो रहे है। अतः उक्त निर्णय दिनांक 10.11.2005 से अपीलांटा व्यथित पक्षकार है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आवंटी जगन्नाथ आत्मज भंवरलाल कौम माली को दिनांक 18.06.1976 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी। इसके पश्चात् नामांतरकरण संख्या 294 दिनांक 23.02.1996 से मृतक जगन्नाथ के स्थान पर पुत्र सुरेश कुमार नाबा0 व पुत्री संतोष नाबा0

वली भंवरलाल दादा का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सांगोद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 का प्रस्तुत करते समय अपीलांटा को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक प्रकट होता है। लिहाजा प्रकरण में अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है।

8. प्रकरण में अपीलांटा का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.11.2005 के विरूद्ध पेश की गई अपील में हुई देरी के संबंध में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के पूर्व व उसके पश्चात अपीलान्टा को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी और रेस्पो. नं. 1 द्वारा भी किसी प्रकार की सूचना उक्त कार्यवाही व निर्णय के बाबत नहीं बताया। जबकि अपीलान्टा के पिता व उनकी मृत्यु बाद अपीलान्टा व रेस्पो. नं. 1 का आवंटन शुदा भूमि पर निरन्तर आज तक काबिज काश्त चला आ रहा है। दिनांक 19.8.2022 को हल्का पटवारी ने अपीलान्टा को उक्त भूमि का आवंटन खारिज होने तथा अपीलान्टा के पिता के नाम का आवंटन निरस्त होने के बाबत कहा इस पर अपीलान्टा दिनांक 19.8.2022 को आवंटन निरस्ती आदेश दिनांक 10.11.2005 के बाबत जानकारी कर अपीलान्टा ने हुक्म जैर अपील के निर्णय की नकल व सम्पूर्ण आवंटन पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 22.8.2022 को आवेदन पत्र पेश कर दिया जिस पर अपीलान्ट को दिनांक 15.9.2022 को नकल प्राप्त हुयी। अपीलान्टा को आवंटन निरस्ती आदेश दिनांक 10.11.2005 के बाबत दिनांक 19.8.2022 के पूर्व किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हुयी। अपीलांटा के उक्त कथन के संबंध में धारा–5 प्रार्थना–पत्र का खण्डन रेस्पो0 पेरोकार द्वारा नहीं किये जाने से न्यायहित में प्रकरण में इस स्टेज पर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित प्रकट होता है।

9. प्रस्तुत प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि तहसीलदार सांगोद के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था कि जगन्नाथ आत्मज भवरलाल कौम माली सा. देह को ग्राम खडीपुर की भूमि खसरा नम्बर 346 की 0.12, खसरा नम्बर 347 की 0. 17, खसरा नम्बर 348 की 0.54 है0 एवं खसरा नम्बर 349 की 0.17 हेक्टेयर भूमि को दिनाक 18.6. 76 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी तथा इसके पश्चात नामान्तरकरण संख्या 294 दिनाक 23.2.1996 से मृतक जगन्नाथ के स्थान पर पुत्र सुरेश कुमार नाबा. व पुत्री सतोष नाबा. वली भंवर लाल दादा का नाम दर्ज करने का आदेश हुआ। किंतु आवन्टी को 10 वर्ष से अधिक का समय पूर्ण होने तथा आवन्टी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार सांगोद का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवन्टी को किया गया आवन्टन खारिज किये जाने का निर्णय दिनांक 10.11.2005 पारित किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि विवादित भूमि अपीलांटा के पिता की आवंटित भूमि होने तथा पिता की मृत्यु के बाद अपीलांटा व रेस्पो0 नं0 1 के नाम गैरखातेदारी

में दर्ज की गई था तथा उक्त भूमि पर अपीलांटा का कब्जा काश्त चला आ रहा है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा को सूचना दिये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त आवंटन को खारिज कर दिया गया। इसके विपरित रेस्पो0 पेरोकार सरकार का तर्क है कि आवन्टी ने आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की है एवं वर्तमान में उक्त भूमि मौके पर सार्वजनिक उपयोग रास्ते के काम में आने के परिणामस्वरूप ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार सांगोद का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1976 खारिज किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील में कोई नये तथ्य पेश नहीं किऐ। साथ ही अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त होना वर्णित किया किंतु कब्जे बाबत् खसरा गिरदावरी एवं अन्य प्रमाण इत्यादि भी प्रस्तुत नहीं किये जिससे अपीलांट का कब्जा प्रमाणित हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा का निर्णय दिनांक 10.11.2005 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

28/1/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा